प्रशासन विभाग

संख्या : ए. 60011/50/2014-जीएस-III [चिकित्सा] **दिनांक : 25-05-2015**

प्रशासनिक परिपत्र

विषय : भाविप्रा सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए भाविप्रा पैनलबद्ध अस्पतालों/ नर्सिंग होम में आंतरिक चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया का सरलीकरण।

भाविप्रा लाभार्थियों को भाविप्रा के पैनलबद्ध अस्पतालों/ नर्सिंग होम में सुविधाजनक आंतरिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भाविप्रा कार्मिकों [सेवारत व सेवानिवृत्त] द्वारा क्रेडिट पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है।

व्यक्तिगत रूप से क्रेडिट पत्र प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया के बजाय निम्नलिखित प्रणाली का पालन किया जाएगा :-

- जिन भाविप्रा लाभार्थियों को आंतरिक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो उन्हें संबंधित अस्पताल/ नर्सिंग होम में भाविप्रा चिकित्सा कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

- कार्मिकों को जारी चिकित्सा कार्ड के आधार पर अस्पताल/ नर्सिंग होम द्वारा रोगी को भर्ती किया जाएगा तथा कार्मिकों की पात्रता [अस्पताल के पास उपलब्ध पात्रता] के अनुसार बिस्तर/ कमरा प्रदान किया जाएगा।

- अस्पताल को संबंधित कार्मिकों से प्रवेश के लिए विधिवत भरा हुए निर्धारित फॉर्म [अनुलग्नक-क में संलग्न है तथा अस्पताल के पास भी उपलब्ध है] प्राप्त करना होगा।

- विशेषज्ञ चिकित्सक की पर्ची के आधार पर अस्पताल द्वारा एक प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

- अस्पताल द्वारा भाविप्रा के अधिसूचित ई-मेल (medical-admn@aai.aero) पर निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन प्रति भेजी जाएगी।

  1. कार्मिक के चिकित्सा कार्ड की प्रति
  2. प्रवेश का फॉर्म
  3. प्राक्कलन की प्रति

- सत्यापन/ जांच तथा उचित प्रक्रिया के बाद भाविप्रा द्वारा ई-मेल के माध्यम से एक सप्ताह की अधिकतम अवधि के लिए अस्पताल को क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। रोगी को एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहने की आवश्यकता होने पर भाविप्रा से अस्पताल द्वारा अनुमति ली जाएगी।

- रोगी के स्वस्थ होते ही अस्पताल द्वारा रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी तथा ई-मेल के माध्यम से भाविप्रा को सूचित किया जाएगा।

- समझौता ज्ञापन के अनुसार अस्पताल द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज़ों के साथ बिल भेजा जाएगा। कार्मिकों द्वारा सत्यापन के उपरांत बिल पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रक्रिया प्रारंभ में केवल निगमित मुख्यालय के भाविप्रा लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी तथा दिनांक 01 जून, 2015 से प्रभावी होगी। दिल्ली स्थित भाविप्रा के अन्य प्रतिष्ठानों में यह प्रक्रिया 01 जुलाई, 2015 से लागू होगी और तब तक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार क्रेडिट पत्र जारी किया जाए।

--हस्ता ०--
(टी. प्रेमनाथ)
कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)

आंतरिक वितरण :

- अध्यक्ष महोदय के उप महाप्रबंधक (ईएस)
- सहायक महाप्रबंधक (ईए) – सदस्य (योजना)/ सदस्य (एएनएस)/ उप महाप्रबंधक (ईएस) - सदस्य (प्रचालन)/ सदस्य (वित्त)/ सदस्य (मानव संसाधन)
- राजीव गांधी भवन के सभी विभागाध्यक्ष
- संयुक्त महाप्रबंधक (एमएस)
- सहायक महाप्रबंधक (वित्त), चिकित्सा अनुभाग
- अध्यक्ष/ महासचिव – एएआईओए/ आईएएआईओए/ एएआईसीओए/ एटीसी गिल्ड/ एएईयू
- सूचनापट्ट